


नम्बर व
अहकाम
कम की ल
जारी

| दिनांक | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीपाल / अजीत चौधरी | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुय |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/8/24 | <p>पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी व पञ्चारी की फर्द मीका रिपोर्ट मय नबरी नमशा पेश शामिल पत्रावली की गई। उभयपक्षकारान् के बहस पेश की।</p> <p>वकील प्रार्थना निवेदन किया कि प्रार्थना रास्ता बंद कर दिया गया है। वकील अग्रणी ने निवेदन किया कि प्रकरण २५1(A) कानही है म्योकि कोई नया रास्ता पट्टुच हेतु आवश्यक नहीं है। उभयपक्षकारान् के बहस सुनी गई पत्रावली चारन कारिण कर्मवाही दिनांक 03/9/24 के पेश है।</p> | |
| 03/9/24 | <p>पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस, मीका कमिश्नर की रिपोर्ट तथा पेश ज्याकेगाफ तथा ग्राम विकास अधिकारी एवम पञ्चारी की समुष्ट रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पट्टुच है कि प्रकरण में जोर हेतु कोई नवीन रास्ते की मांग नहीं पाई गई साथ ही वैकल्पिक रास्तों का अग्र प्रतीत नहीं होने के कारण प्रकरण का २५1(A) में निस्तार योग्य नहीं होने की स्थिति में उक्त धारा में स्वीकार नहीं किया जाता है।</p> <p>प्रकरण की आवश्यकता के मद्देनजर CPCIS की शक्ति के तहत न्यायालय प्रकरण को २५1 (RTA) में स्वीकार करता है।</p> <p>रिपोर्ट अनुसार नज्दी नम्बों में Point A के Point B तक स्थिर रूंद पर रास्ते हेतु प्रवेस फांड़ी (5.5 फुट) के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। कि मीका कमिश्नर द्वारा पेश Photo संख्या 2 एवम 4 के भी प्रतीत होती है। अतः निम्नानुसार प्रार्थी ग्राम पंचायत के पास आवेदन पेश कर जो कि २५1 में कर्मवाही हेतु अधिभूत है।</p> <p>साथ ही प्रार्थी का अन्य वैकल्पिक मार्ग जो कि मीका कमिश्नर की रिपोर्ट किट्ट संख्या 8 एवम 9 में दर्शित है साथ ही पञ्चारी की समुष्ट रिपोर्ट</p> |  |

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला बुन्देलखण्ड (राज.)

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

श्रीपाल / अजीत चौधरी

69
24

नम्बर व
जो इस

03/9/24

में एक नं० १५५ में अतिक्रमण के परिणामस्वरूप
लाखाड़ लगाकर बंद किया हुआ है उसके विकास का
व्ययित्व गंगापंचायत का है जो कि चारागाह विकास
व संरक्षण हेतु उत्तरदायी है अतः आदेशित किया
जाता है कि गंगापंचायत अधिकारी निम्नानुसार
नीति करे, राजस्व अधिकारियों की सहायता
से 15 दिनों में चारागाह से लाखाड़ी हटाने
की सलाह से इजलास सुनाया गया पचासी फौज
शुमार है नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकाषी बुहानी
जिला झुन्डुनूं (राज.)